न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्याः— 20/2022

मनीराम पुत्र धौलाराम उम्र 56 वर्ष, जाति माली, निवासी नीमडा वाली ढाणी, जीवावाली ढाणी तन बुडाना तहसील व जिला झुंझुनू (राज0)

—— अपीलान्टस

बनाम

1. धौलाराम पुत्र रामेश्वरम, उम्र 85 वर्ष जाति माली, निवासी निमडा वाली ढाणी, जीवावाली ढाणी, तन बुडाना, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. नरसीराम पुत्र धौलाराम उम्र 54 वर्ष, जाति माली निवासी निमडा वाली ढाणी, जीवावाली ढाणी, तन बुडाना, तहसील व जिला झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्टस्

———

उपस्थितः—

1. श्री महीपाल सिंह कपूरिया, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री धौलाराम रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 मय वकील श्री नन्दकिशोर शर्मा के दौराने बहस उपस्थित।
3. श्री कैलाश जांगिड, एडवोकेट— रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से उपस्थित।

———

प्रथम अपील अन्तर्गत सेक्शन 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 08.03.2022 ट्रीब्यूनल/न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (पीठासीन – भरण पोषण अधिकरण) झुंझुनूं अन्तर्गत सेक्शन 5 राजस्थान माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण नियम 2010 उनवानी धौलाराम बनाम मनीराम वगैरह मु0न0 2/2022

आदेश

दिनांक 22.06.2022

उक्त विषयक अपील विद्वान उपखण्ड मजिस्ट्रेट झुंझुनूं के आदेश दिनांक 08.03.2022 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र स्थगन के प्रस्तुत की गई है। संक्षेप मे अपील अपीलान्ट निम्नलिखित प्रकार से पेश है कि अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी (पीठासीन भरण पोषण अधिकरण) झुंझुनूं जिला झुंझुनूं के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.03.2022 विरूद्ध कानून एवं पत्रावली है। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी (पीठासीन भरण पोषण अधिकरण) झुंझुनूं [illegible] आदेश ईलीगल है क्योकि उक्त अपीलाधीन/आदेश रेस्पोडेन्ट/आवेदक नं0 1 बहक ध[illegible]रित किया गया है जो कि उक्त धौलाराम के भरण पोषण एवं कल्याण के लिये [illegible]ने से पूर्व जांच नही की क्योंकि रेस्पोडेन्ट/आवेदक धोलाराम के [illegible] पर्याप्त भरण [illegible] हेतु जायदाद खातेदारी काश्त की आराजी खसरा नं0 32, 33, 34, 35, 36, 37 कुल किता 6 कुल रकबा 1.39 हेक्टर वाके ग्राम [illegible] वाली ढाणी तहसील झुंझुनूं जिला झुंझुनूं पर्याप्त मात्र मौजूद थी और उस[illegible] भरण पोषण के लिये प[illegible] परन्तु उसने उक्त जायदाद को अपने निजी स्वार्थ हेतु अपनी निजी जायदाद पुत्री अपने परिवार में अपने भाई के

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.27 16:33:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

लडके की पुत्री पिंकी पुत्री बाबुलाल, जाति माली निवासी जीवावाली ढाणी तहसील व जिला झुंझुनूं को दिनांक 17.07.2020 को विक्रय कर विक्रय मूल्य की राशि 90,000/– रूपये प्राप्त कर ली है जो उसके पोषण के लिये पर्याप्त था परन्तु उक्त रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी धौलाराम ने अपीलान्ट से महज उक्त अधिनियम के तहत भरण पोषण की राशि प्राप्त करने हेतु उक्त जायदाद की क्रेता पिंकी अपने भाई के लडके बाबूलाल की पुत्री से मिलकर विक्रय की है। उक्त भूमि के खसरा नं0 32, 33, 34, 35, 36, 37 किता 6 कुल रकबा 1.39 हैक्टर में से अपना सम्पूर्ण 1/5 हिस्सा विक्रय कर दिया जबकि उक्त विक्रय की गई जायदाद पर कब्जा आज भी उक्त धौलाराम का मौजूद है व पूर्व में उक्त धौलाराम के द्वारा विक्रय की गई जायदाद के अलावा उसके भरण पोषण हेतु काश्त की आराजी खसरा नं0 122, 96 रकबा 1.52 हैक्टर वाके ग्राम जीवावाली ढाणी में मौजूद है जो उसके भरण पोषण के लिये पर्याप्त है। इसके बावजूद अदालत मातहत ने उक्त अधिनियम के सेक्शन 5 के तहत सही जांच व तथ्यों पर सही परीक्षण कर सही निर्णय पारित नही किया गया है। उक्त रेस्पोडेन्ट सं0 1/ आवेदक धौलाराम के पास में रिहायश हेतु वाके ग्राम नीमडा वाली ढाणी जीवावाली ढाणी तन बुडाना में पर्याप्त लम्बी चौडी गुवाडी है जिसमें रिहायश हेतु धौलाराम के पास दो पुख्ता कमरा मय बाथरूम मौजूद है। इस सम्बन्ध में भी अदालत मातहत को रेस्पोडेन्ट सं0 1/आवेदक धौलाराम ने अंधेरे में रखा है व सही तथ्य पेश नही किये इसलिये अदालत मातहत ने उक्त अपीलाधीन आदेश के तहत उक्त रेस्पोडेन्ट सं0 1 आवेदक को रिहायश हेतु अपीलान्ट के विरूद्ध में एक पुत्रता कमरा रिहायश हेतु उपलब्ध करवाने का आदेश देकर अहम कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट सं0 1/आवेदक को 1000/– रूपये मासिक वृद्धावस्था पेशन के राजस्थान सरकार से मिलते है जिसकी बाबत भी उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अदालत मातहत को अंधेरे में रखा गया है और 1000/– रूपये मासिक वृद्धावस्था पेंशन के प्राप्त करने के तथ्य अदालत मातहत की पत्रावली पर उजागर नही किये गये है तथा 6000/– रूपये की कृषि अनुदान राशि भारतीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत भी रेस्पोडेन्ट सं0 1/आवेदक धौलाराम को प्राप्त होती है। जो भी रेस्पोडेन्ट सं0 1/आवेदक धौलाराम भरण पोषण की उपयुक्त राशि उपलब्ध होती है। जिसको भी अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाधीन अदालत को अंधेरे में रखा गया है व सच्चे तथ्य अदालत मातहत में पेश नही किये गये है व रेस्पोडेन्ट सं0 1 आवेदक की बीमारी के ईलाज हेतु राज्य सरकार मुफ्त में ही दवा भी वितरण करती है इसको भी अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व जांच से बाहर रखा गया है व सच्चे तथ्य अदालत मातहत में प्रस्तुत नही किये गये है तथा उपयुक्त विवेचन शेष रेस्पोडेन्ट सं0 1 आवेदक वरिष्ठ नागरिक की परिभाषा में नही आता। इसके बावजूद अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट सं0 1/आवेदक धौलाराम को वरिष्ठ नागरिक व उसके भरण पोषण हेतु समुचित राशि रिहायश हेतु जायदाद पारित करवाने का आदेश विरूद्ध अपीलान्ट पारित कर अहम कानूनी भूल की है। उक्त अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0 2 नरसीराम में आपस में दोनो भाईयो के बीच मनमुटाव चल रहा है तथा रेस्पोडेन्ट नं0 2 नरसीराम रेस्पोडेन्ट सं0 1 के शामलाती में रहता है। इस वजह से जब उक्त प्रकरण की तामिल रेस्पोडेन्ट सं0 2 नरसी पर करवाई गई तब उसने प्रकरण की कोई जानकारी अपीलान्ट को नही थी। इस वजह से अपीलान्ट के विरूद्ध में एकतरफा कार्यवाही का आदेश हो गया और बाला बाला ही उक्त अपीलाधीन आदेश पारित हो गया। इससे भी यह साबित है कि उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई उचित व समुचित अवसर नही दिया गया इसलिये उक्त अपीलाधीन आदेश पारित होने से पूर्व अपीलान्ट सही न्याय नही प्राप्त कर सका। अपीलान्ट/अप्रार्थी सं0 1 किसी स्कूल में कोई निजी धन्धा नही करता है बल्कि चपरासी के पद पर श्री चावो वीरो पी0जी0 कॉलेज बगड में नौकरी [illegible] का वेतन की राशि प्राप्त कर अपने परिवार का खर्चा चलाता है और अपीलान्ट को [illegible] अन्य आय प्राप्त करने का काई साधन उपलब्ध नही है। इसलिये अपीलान्ट [illegible] करने में असमर्थ है। रेस्पोडेन्ट सं0 1/आवेदक अपने दीगर पुत्र [illegible] सं0 2 [illegible] से साजिस कर रखी है और अपीलान्ट को नाजायज रूप से तंग व परेशान [illegible] उक्त अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया है। रेस्पोडेन्ट सं0 1/आवेदक के साथ में उसका दीगर पुत्र [illegible] साथ ही रहता है व दोनो का रहन सहन शामलाती ही है व दोनो का राशन कार्ड भी संयुक्त हैं इस प्रकार से उक्त रेस्पोडेन्ट सं0 1/आवेदक ने उक्त प्रकरण की तामिल अपीलान्ट की गलत रूप से करवाई है जबकि उक्त रेस्पोडेन्ट सं0 1 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.27 16:33:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पीलान्ट दोनों वापस में शामलाती में नही रहते है। इसलिये उक्त प्रकरण की तामिल उक्त रेस्पोडेन्ट सं0 /आवेदक के प्रकरण की नोटिस की तामिल उसके दीगर पुत्र रेस्पोडेन्ट सं0 2 नरसी पर साजसी तरीके गलत रूप से करवाई गई है जबकि अपीलान्ट को उक्त प्रकरण का सुनवाई से पूर्व कोई नोटिस प्राप्त ही हुआ है। इसलिये अपीलान्ट उक्त प्रकरण की संही ढग से पैरवी करने से भी वंचित हो गया है व याय के मूल सिद्धान्तो की अनुपालना भी नही प्राप्त कर सका। रेस्पोडेन्ट सं0 2 नरसी ने उक्त अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध में कोई अपील दायर नही की है इसलिये इस अपील के निस्तारण में उसके आवश्यक पक्षकार होने के कारण रेस्पोडेन्ट सं0 2 बनाया गया है जिससे अपील के निस्तारण में कोई कानूनी नुक्स ना रहे। अतः अपील अपीलान्ट मिनजानिब अपीलान्ट/अनावेदक सं0 1 मनीराम प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की तरफ से प्रस्तुत इस अपील को स्वीकार कर फरमाकर अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी (पीठासीन भरण पोषण अधिकरण) झुंझुनूं जिला झुंझुनूं द्वारा प्रार्थना पत्र उनवानी धौलाराम बनाम मनीराम वगैरह मु0न0 2/2022 अन्तर्गत सेक्शन 5 राजस्थान माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण नियम 2010 में पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांकित 08.03.2022 को मय खर्चा खारिज किया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्ट रेस्पोडेन्ट धौलाराम ने अपीलान्ट से महज उक्त अधिनियम के तहत भरण पोषण की राशि प्राप्त करने हेतु अदालत मातहत मे परिवाद पेश किया था। उक्त धौलाराम के द्वारा विक्रय की गई जायदाद के अलावा उसके भरण पोषण हेतु काश्त की आराजी खसरा नं0 122, 96 रकबा 1.52 हैक्टर वाके ग्राम जीवावाली ढाणी में मौजूद है जो उसके भरण पोषण के लिये पर्याप्त है। इसके बावजूद अदालत मातहत ने उक्त अधिनियम के सेक्शन 5 के तहत सही जांच व तथ्यों पर सही परीक्षण कर सही निर्णय पारित नही किया गया है। उक्त रेस्पोडेन्ट सं0 1 धौलाराम के पास में रिहायश हेतु वाके ग्राम नीमडा वाली ढाणी जीवावाली ढाणी तन बुडाना में पर्याप्त लम्बी चौडी गुवाडी है जिसमें रिहायश हेतु धौलाराम के पास दो पुख्ता कमरा मय बाथरूम मौजूद है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 को 1000/– रूपये मासिक वृद्धावस्था पेंशन के राजस्थान सरकार से मिलते है। तथा 6000/– रूपये की कृषि अनुदान राशि भारतीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत भी रेस्पोडेन्ट सं0 1 धौलाराम को प्राप्त होती है। उक्त अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0 2 नरसीराम में आपस में दोनो भाईयो के बीच मनमुटाव चल रहा है तथा रेस्पोडेन्ट नं0 2 नरसीराम रेस्पोडेन्ट सं0 1 के शामलाती में रहता है। इस वजह से जब उक्त प्रकरण की तामिल रेस्पोडेन्ट सं0 2 नरसी पर करवाई गई तब उसने प्रकरण की कोई जानकारी अपीलान्ट को नही थी। इस वजह से अपीलान्ट के विरूद्ध में एकतरफा कार्यवाही का आदेश हो गया। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की तरफ से प्रस्तुत इस अपील को स्वीकार कर फरमाकर अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी (पीठासीन भरण पोषण अधिकरण) झुंझुनूं जिला झुंझुनूं द्वारा प्रार्थना पत्र उनवानी धौलाराम बनाम मनीराम वगैरह मु0न0 2/2022 अन्तर्गत सेक्शन 5 राजस्थान माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण नियम 2010 में पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांकित 08.03.2022 को मय खर्चा खारिज किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बहस के दौरान अपीलान्ट के तर्को का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेन्ट सं0 1 वृद्ध व्यक्ति है जिसकी [illegible] है। रेस्पोडेन्ट की 2 पुत्र सन्तानें मनीराम (अपीलान्ट) व नरसीराम (रेस्पोडेन्ट सं0 2) है [illegible] रेस्पोडेन्ट सं0 1 को घर से निकाल दिया है। दोनो रेस्पोडेन्ट सं0 1 के साथ मारपीट करते है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0 2 खेत नही जोतने देते है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 अपनी पुत्रियों के [illegible] अपना जीवन बसर करता है। अदालत मातहत द्वारा मात्र 1000–1000/– रूपये [illegible] स्वीकार की है जो मुझ रेस्पोडेन्ट सं0 1 के लिए पर्याप्त नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावें एवं अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0 2 को पर्याप्त भरण पोषण राशि मुझ रेस्पोडेन्ट सं0 1 को देने के आदेश फरमाये जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.27 16:33:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने बहस के दौरान रेस्पोडेन्ट सं0 1 के कथनों का समर्थन किया व कील अपीलान्ट के कथनों से कोई लेना देना नही होना बताया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पक्षकारान पर बगौर मनन किया अदालत मातहत द्वारा पूर्ण सुनवाई व वृद्ध नागरिकों की परिस्थितियों को मध्यनजर रख कर आदेश दिनांक 08.03.2019 ारित किया है। वरिष्ठो नागरिकों का भरण–पोषण अधिनियम 2007 वरिष्ठ नागरिकों के हकुको की रक्षा व उनके भरण–पोषण बाबत है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 का यह कथन है कि मनीराम (अपीलान्ट) व नरसीराम (रेस्पोडेन्ट सं0 2) ने रेस्पोडेन्ट सं0 1 को घर से निकाल दिया है। दोनो रेस्पोडेन्ट सं0 1 के साथ मारपीट करते है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं0 2 खेत नही जोतने देते है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 अपनी पुत्रियों के पास अपना जीवन बसर करता है। अदालत मातहत द्वारा मात्र 1000–1000/– रूपये की भरण पोषण राशि स्वीकार की है जो मुझ रेस्पोडेन्ट सं0 1 के लिए पर्याप्त नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज की जाती है तथा साथ ही आदेश दिये जाते है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0 2 प्रतिमाह 1500–1500 रूपये रेस्पोडेन्ट सं0 1 के बैंक खाते मे जमा करावें। आदेश की प्रति पालनार्थ थानाधिकारी, पुलिस थाना, बगढ को पालनार्थ प्रेषित हो। रिकार्ड मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0 कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.27 16:33:49 IST
Reason: SelfAttested